

फार्म डी. ए. - 1 / Form D.A. - 1

बैंक जमाओं के सम्बन्ध में बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 45 जेड ए तथा
बैंकिंग कम्पनीज़ (नामांकन) नियम, 1985 के नियम 2(1) के अन्तर्गत नामांकन

**Nomination under Section 45ZA of the Banking Regulation Act, 1949 and Rule 2(1) of
the Banking Companies (Nomination) Rules, 1985 in respect of Bank Deposits.**

मैं/हम

(नाम और पता)

निम्नलिखित व्यक्ति को नामांकित करता/करती हूँ/करते हैं जिसे मेरी/हमारी/अवयस्क की मृत्यु होने पर उस जमा की राशि

(उस शाखा/कार्यालय का नाम और पता जिसमें राशि जमा है)

द्वारा लौटा दी जाए जिसका विवरण नीचे दिया गया है :

I/We

(Name and addresses)

nominate the following persons to whom in the event of my/our minor's death the amount of the deposit,
particulars whereof are given below, may be returned by

(Name and address of the branch/office in which deposit held)

जमा / Deposit

प्रकार/Nature of	खाता क्र./Distinguish No.	अन्य विवरण, यदि कोई हो/Additional details, if any

नामित / Nominee

नाम Name	पता Address	जमाकर्ता के साथ रिश्ता, यदि कोई हो Relationship with depositor, if any	आयु Age	यदि नामिति अवयस्क हो तो, उसकी जन्म तिथि If Nominee is a minor, his/her date of birth

2. ** आज के दिन नामिति अवयस्क है, अतः मैं/हम/श्रीमती/कुमारी

को नामिति की अवयस्कता के दौरान

(नाम, पता और आयु)

मेरी/हमारी/अवयस्क की मृत्यु होने पर उसकी ओर से जमा की राशि प्राप्त करने के लिए नियुक्त करता/करती हूँ/करते हैं।

2. ** As the nominee is a minor on this date, I/We appoint Shri/Smt./Kum.

(Name, address and age)

to receive the amount of the deposit on behalf of the nominee in the event of my/our/minor's death during minority
of the nominee.

स्थान/Place :

दिनांक/Date :

साक्षियों का नाम, हस्ताक्षर एवं पते @

Name(s), Signature(s) and

Address(es) of witness(es) @

*जमाकर्ता(ओं) के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान

Signature(s)/Thumb Impression of depositor(s)

* जहाँ जमा किसी अवयस्क व्यक्ति के नाम में हो वहाँ ऐसे नामांकन पर उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किये जाने चाहिए जो कानूनी रूप से उस पर
अवयस्क की ओर से कार्य करने का हकदार हो।

* Where deposit is made in the name of minor, the nomination should be signed by a person lawfully entitled to act on the
minor.

** यदि नामिति अवयस्क न हो तो काट दें।

** Strike out if nominee is not a minor

@ अंगूठा-निशान दो साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित किये जायेंगे।

@ Thumb Impression(s) shall be attested by two witnesses.